IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत के असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम की समस्या का अध्ययन

श्वेता सैनी, डॉ रुचि

शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान

सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान

सारांश

भारत में बाल श्रम एक पुरानी, परंतु अत्यंत जटिल सामाजिक समस्या है, जो विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में विकराल रूप में विद्यमान है। इस क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकों को न तो उचित मजदूरी मिलती है, न ही शिक्षा, सुरक्षा अथवा स्वास्थ्य की न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम की प्रकृति, कारण, प्रभाव और नीति-स्तरीय प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करना है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ILO, UNICEF, और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा संकलित आँकड़ों के माध्यम से यह अध्ययन तैयार किया गया है। इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि किन वर्गों, समुदायों और क्षेत्रों में बाल श्रम की प्रवृत्ति अधिक है और यह किस प्रकार सामाजिक असमानता, गरीबी, शिक्षा की अनुपलब्धता तथा पारिवारिक दबाव से जुड़ी हुई है। शोध में यह भी देखा गया है कि किस प्रकार सरकारी योजनाओं और कानूनों जैसे कि बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, संशोधित अधिनियम 2016 के बावजूद बाल श्रम अब भी व्याप्त है। यह अध्ययन यह इंगित करता है कि असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि यह सामाजिक संरचना की विसंगतियों का भी प्रतिबिंब है। इसे समाप्त करने के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि समावेशी विकास और जन-जागरूकता की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द – बाल श्रम ,असंगठित क्षेत्र, सामाजिक असमानता, श्रम कानून, शिक्षा की अनुपलब्धता, बाल अधिकार

प्रस्तावना

भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक-आर्थिक विषमता की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं, जिनमें बाल श्रम एक गंभीर, जटिल और बहुआयामी समस्या के रूप में उभरता है। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र जो संरचित श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, और बाल अधिकारों से रहित होता है | बाल श्रम की प्रवृत्ति का प्रमुख केंद्र बन गया है। ऐसे क्षेत्र छोटे उद्योगों, घरेलू इकाइयों, सड़क विक्रेताओं, निर्माण कार्यों, ईंट भट्टों, होटल-ढाबों, कृषि कार्यों और कूड़ा बीनने जैसे श्रमसाध्य क्षेत्रों में फैले होते हैं, जहाँ बालक-बालिकाएँ सस्ते और आज्ञाकारी श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बाल श्रम न केवल बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है, बल्कि उनके शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य के अवसरों को भी बाधित करता है। यह समस्या मात्र आर्थिक नहीं है; यह सामाजिक ढांचे की असमानताओं, जातीय विभाजनों, लैंगिक पक्षपात, शिक्षा की अनुपलब्धता और राज्य की विफलता की अभिव्यक्ति भी है। एक तरफ हम "सर्व शिक्षा अभियान", "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ", और "बाल अधिकार संरक्षण आयोग" जैसे कार्यक्रमों की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों बच्चे मजदूरी में झोंक दिए जाते हैं। यह शोध-पत्र भारत के असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम की प्रकृति, प्रसार, कारणों और प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य न केवल समस्या को समझना है, बल्कि उन संरचनात्मक कारकों की पहचान करना भी है जो इस स्थिति को बनाए रखते हैं। इसके

अतिरिक्त, यह अध्ययन नीति–स्तर पर सुधारात्मक कदमों और सामाजिक चेतना की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि बच्चों को उनका बचपन, शिक्षा और गरिमा युक्त जीवन मिल सके।

असंगठित क्षेत्र की अवधारणा

"असंगठित क्षेत्र" का आशय ऐसे कार्यक्षेत्रों से है जो किसी औपचारिक अनुबंध या नियोजक संरचना के अधीन नहीं आते। इसमें वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जहाँ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, निश्चित मजदूरी, काम के घंटे, चिकित्सा सुविधा या पेंशन जैसी सुविधाएँ प्राप्त नहीं होतीं। भारत में असंगठित क्षेत्र का विस्तार अत्यंत व्यापक है, यह न केवल ग्रामीण श्रम बाजार में व्याप्त है, बल्कि नगरीय श्रमिक संरचना का भी प्रमुख हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय आय में असंगठित क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है, किंतु यह क्षेत्र श्रमिकों के अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत उपेक्षित है। बाल श्रमिक, विशेष रूप से इसी क्षेत्र में केंद्रित होते हैं, क्योंकि यहाँ नियमन और निगरानी की व्यवस्था अत्यंत शिथिल होती है। घरेलू कार्य, ईंट–भट्टे, कांच उद्योग, कालीन बुनाई, कचरा संग्रहण, गारमेंट उद्योग, और चाय की दुकानों जैसे असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की उपस्थिति एक सामान्य दृश्य बन चुकी है। असंगठित क्षेत्र की यह विशेषता कि इसमें कोई स्पष्ट श्रम अनुबंध या शोषण–निरोधी प्रणाली नहीं होती, इसे बाल श्रम के लिए उर्वर भूमि बना देती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए यह क्षेत्र आजीविका का एकमात्र विकल्प बनता है, जिसके चलते वे अपने बच्चों को भी कार्यबल में शामिल करने को विवश होते हैं।

बाल श्रम की परिभाषा

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा कारखाने या खदान या खतरनाक उद्योगों में रोजगार पर नहीं लगाया जायेगा।" अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कारखानों में कार्य करता है तो वह बालश्रमिक है।

बालश्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम **1986** के अनुसार बाल श्रमिक से हमारा तात्पर्य किसी रोजगार में नियोजित उस बालक से है जिसने अपनी उम्र का 14 वां वर्ष अभी पूरा नहीं किया है। किंतु यदि बालश्रमिक अपने पारिवारिक उद्योग में कार्यशील हैं और उसके कार्यशील होने से उसके सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तथा शैक्षणिक विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है, तो ऐसा श्रमिक बाल श्रमिक के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।

"सिल्वा" जो कि एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उन्होंने "बालक" को परिभाषित करते हुए उस अवस्था को माना है जिसके तहत बालक को उसके मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए संरक्षण आवश्यक है जब तक कि वे स्वतंत्र रूप से वयस्क के समरुप न हो जाय।"

गोडार्ड एण्ड व्हाइट के मतानुसार बालक या बाल्यवस्था की परिभाषा विभिन्न सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है और साथ ही साथ काल या समय पर भी निर्भर होती है। इतना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि जाति एवं लिंग का भी महत्व इसे परिभाषित करने में विचारणीय है।"

असंगठित क्षेत्र में बालश्रम के कारण

आर्थिक कारण

गरीबी :– गरीब परिवारों के बच्चे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मजबूर होकर बाल श्रम करते हैं। उनके पिता या माता यदि दैनिक मजदूरी या अन्य कम वेतन वाली नौकरियों में हैं, तो बच्चे भी कम वेतन वाली मजदूरी की तलाश में काम करने लगते हैं। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों को अपने पेट भरने और अपने परिवार का सही ढंग से पालन–पोषण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस दबाव में, बच्चों को अक्सर काम पर लगाया जाता है, ताकि वे अपने परिवार का खर्च चला सकें।

रोजगार की कमी :– सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार की कमी के कारण परिवारों को अपने बच्चों को काम पर लगाना पड़ता है ताकि वे परिवार का खर्च चला सकें। रोजगार की कमी एक ऐसी समस्या है जो न केवल गरीब परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि मध्यम वर्ग के परिवारों को भी प्रभावित करती है। जब रोजगार की कमी होती है, तो लोगों को अपने बच्चों को काम पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे बाल श्रम की समस्या बढ़ जाती है।

सामाजिक कारण :– असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम के सामाजिक कारणों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं :

शिक्षा का अभाव :– अनेक ग्रामीण या पिछड़े इलाकों में शिक्षा का अभाव या जागरूकता की कमी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और उनके स्थान पर कार्यरत रहते हैं। शिक्षा का अभाव एक ऐसी समस्या है जो न केवल बाल श्रम को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज के विकास को भी प्रभावित करती है। जब बच्चे शिक्षा के अवसरों से वंचित होते हैं, तो वे अपने भविष्य की संभावनाओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और इस तरह वे बाल श्रम की समस्या का शिकार हो जाते हैं।

सामाजिक परंपराएँ :– कुछ समाजों में बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता को महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ बच्चों को शुरुआत से ही घरेलू कार्यों या औद्योगिक कार्यों में लगाया जाता है। सामाजिक परंपराएँ एक ऐसी समस्या है जो बाल श्रम को बढ़ावा देती है। जब सामाज में ऐसी परंपराएँ होती हैं जिनमें बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता को महत्व नहीं दिया जाता है, तो बच्चे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मजबूर होकर बाल श्रम करते हैं।

वैधानिक कारण :– असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम के वैधानिक कारण भी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं :

श्रम कानूनों की कमी :– कई देशों में श्रम कानूनों की कमी है, जिससे बाल श्रम की समस्या बढ़ जाती है। श्रम कानूनों की कमी एक ऐसी समस्या है जो बाल श्रम को बढ़ावा देती है। जब श्रम कानूनों की कमी होती है, तो श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और इस तरह बाल श्रम की समस्या बढ़ जाती है।

शिक्षा की कमी :– शिक्षा की कमी के कारण भी बाल श्रम की समस्या बढ़ जाती है। शिक्षा की कमी एक ऐसी समस्या है जो समाज के विकास को प्रभावित करती है। जब शिक्षा की कमी होती है, तो लोग अपने बच्चों को शिक्षा के अवसरों से वंचित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इस तरह बाल श्रम की समस्या बढ़ जाती है।

सामाजिक और आर्थिक कारण :– असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम के सामाजिक और आर्थिक कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं :

गरीबी और शिक्षा का अभाव :– गरीबी और शिक्षा का अभाव के कारण भी बाल श्रम की समस्या बढ़ जाती है। गरीबी और शिक्षा का अभाव एक ऐसी समस्या है जो समाज के विकास को प्रभावित करती है। जब गरीबी और शिक्षा का अभाव होता है, तो लोग अपने बच्चों को शिक्षा के अवसरों से वंचित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इस तरह बाल श्रम की समस्या बढ़ जाती है।

सामाजिक परंपराएँ :– सामाजिक परंपराएँ एक ऐसी समस्या है जो बाल श्रम को बढ़ावा देती है। जब सामाज में ऐसी परंपराएँ होती हैं जिनमें बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता को महत्व नहीं दिया जाता है, तो बच्चे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मजबूर होकर बाल श्रम करते हैं।

विदेशी कारण :– असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम के विदेशी कारण भी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं :

वैश्वीकरण :– वैश्वीकरण के कारण दुनिया के विभिन्न देशों के लोग अपने देशों से बाहर जाकर काम करने लगते हैं। यहाँ वे अपने बच्चों को अक्सर काम पर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी समस्या है जो बाल श्रम को बढ़ावा देती है। जब लोग अपने देशों से बाहर जाकर काम करने लगते हैं, तो वे अपने बच्चों को काम पर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे बाल श्रम की समस्या बढ़ जाती है।

धोखाधड़ी :– धोखाधड़ी के कारण भी बाल श्रम की समस्या बढ़ जाती है। धोखाधड़ी एक ऐसी समस्या है जो समाज के विकास को प्रभावित करती है। जब लोग धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, तो वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसरों से वंचित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इस तरह बाल श्रम की समस्या बढ़ जाती है।

समाधान

असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम के समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :

शिक्षा को महत्व देना :– शिक्षा को महत्व देने से बच्चों को शिक्षा के अवसरों से वंचित होने से बचाया जा सकता है। शिक्षा को महत्व देने से बच्चों को अपने भविष्य की संभावनाओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार किया जा सकता है।

गरीबी को दूर करना:– गरीबी को दूर करने से बच्चों को काम पर लगाने के लिए मजबूर होने से बचाया जा सकता है। गरीबी को दूर करने से बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मजबूर होने से बचाया जा सकता है।

श्रम कानूनों को लागू करना:– श्रम कानूनों को लागू करने से बाल श्रम की समस्या को कम किया जा सकता है। श्रम कानूनों को लागू करने से श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मजबूर होने से बचाया जा सकता है।

सामाजिक परंपराओं को बदलना:– सामाजिक परंपराओं को बदलने से बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता को महत्व दिया जा सकता है। सामाजिक परंपराओं को बदलने से बच्चों को अपने भविष्य की संभावनाओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार किया जा सकता है।

धोखाधड़ी को रोकना:– धोखाधड़ी को रोकने से बच्चों को शिक्षा के अवसरों से वंचित होने से बचाया जा सकता है। धोखाधड़ी को रोकने से बच्चों को अपने भविष्य की संभावनाओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार किया जा सकता है।

असंगठित क्षेत्र में बाल श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

जातीय और वर्गीय पृष्ठभूमि :– राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) तथा विभिन्न राज्य स्तरीय रिपोर्टों के अनुसार, बाल श्रमिकों का बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से आता है। ये वे समुदाय हैं जिनके पास संसाधनों की भारी कमी है और ऐतिहासिक रूप से उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। दलित एवं आदिवासी परिवारों के बच्चों को बाल्यावस्था में ही मजदूरी करने हेतु बाध्य होना पड़ता है।

ग्रामीण बनाम नगरीय अंतर:– ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिक मुख्यतः कृषि, पशुपालन, ईंट–भट्टों, वनोपज संग्रहण, और घरेलू कामों में लगे होते हैं। वहीं नगरीय असंगठित क्षेत्र जैसे रेहड़ी, ढाबे, घरेलू उद्योग, निर्माण क्षेत्र में बच्चों का उपयोग अधिक गुप्त और अनौपचारिक तरीकों से होता है, जिससे उनकी पहचान और संरक्षण और भी कठिन हो जाता है।

शिक्षा की स्थिति:– बाल श्रमिकों की पृष्ठभूमि में एक सामान्य प्रवृत्ति यह देखी गई है कि वे या तो कभी विद्यालय नहीं गए, या बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। UNICEF और CRY की रिपोर्टों के अनुसार, इन बच्चों की साक्षरता दर बहुत ही कम होती है। शिक्षा से कटाव उन्हें जल्दी कार्यबल में धकेल देता है और आगे उनके लिए आर्थिक या सामाजिक उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं।

लैंगिक स्थिति :–

लड़कियाँ दोहरी मार झेलती हैं:– एक ओर वे घरों में भोजन पकाने, छोटे भाई–बहनों की देखरेख करने, और सफाई जैसे कार्य करती हैं, वहीं दूसरी ओर वे छोटे पैमाने पर घरेलू उत्पादन (जैसे अगरबत्ती बनाना, बीड़ी बँधाई आदि) में भी शामिल होती हैं। चूँकि यह कार्य घर के अंदर होता है, इसलिए यह कार्य 'अदृश्य श्रम' के रूप में गिना जाता है और आँकड़ों में दर्ज नहीं होता।

असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम का प्रभाव

असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम न केवल बच्चों की वर्तमान स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन चक्र पर गंभीर और दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है। यह समस्या केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखी जा सकती; यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक सभी स्तरों पर गहरे असर डालती है।

1. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव :– बाल श्रमिकों को अक्सर लंबे समय तक बिना आराम के कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जिससे उनकी शारीरिक वृद्धि बाधित होती है। कूड़ा बीनने, ईंट–भट्टों, केमिकल फैक्ट्रियों या धूल–धुएँ वाले वातावरण में काम करने से फेफड़ों, आँखों और त्वचा से संबंधित रोगों का खतरा बढ़ता है। मानसिक रूप से भी वे तनाव, भय, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी जैसी स्थितियों का सामना करते हैं।

2. शैक्षिक अवसरों की हानि :– बाल श्रमिकों का विद्यालय से जुड़ाव या तो बहुत सीमित होता है या पूरी तरह समाप्त हो जाता है। शिक्षा की अनुपलब्धता न केवल उनके ज्ञान और कौशल को सीमित करती है, बल्कि भविष्य में सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएँ भी कम कर देती है। शिक्षा से कटे रहने वाले बच्चे वयस्क होने पर भी निम्न स्तर की नौकरियों में फँसे रहते हैं।

3. बाल्यावस्था का हनन:- खेल, शिक्षा, मित्रता, रचनात्मकता और सीखने का जो समय बाल्यावस्था में मिलना चाहिए, वह बाल श्रमिकों के जीवन से छिन जाता है। बाल श्रम उनके बचपन को समय से पहले ही वयस्क जिम्मेदारियों में ढकेल देता है, जिससे वे सामाजिक और भावनात्मक रूप से अधूरे रह जाते हैं।

4. भविष्य की आर्थिक स्थिति पर असर:- शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव के कारण बाल श्रमिक जीवन भर असंगठित क्षेत्र में ही सीमित रह जाते हैं। न उनके पास कौशल होता है, न प्रमाणपत्र, न ही सामाजिक सुरक्षा। वे अक्सर निम्न मजदूरी पर निर्भर रहते हैं, जिससे गरीबी का दुष्चक्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है।

5. सामाजिक भेदभाव और असुरक्षा की भावना:- बाल श्रमिकों को अक्सर शोषण, गाली-गलौज, शारीरिक हिंसा और यौन हिंसा तक का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर उनके साथ वयस्कों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता और उनके अधिकारों की अनदेखी की जाती है। यह अनुभव उनके व्यक्तित्व में असुरक्षा, हीनभावना और समाज से अलगाव की भावना पैदा करता है।

श्रम कानून एवं नीति विश्लेषण:-

भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए कई कानूनी और नीति-स्तरीय प्रयास किए गए हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र की स्वभाविक अनौपचारिकता और सामाजिक स्वीकार्यता के कारण इनका प्रभाव सीमित रहा है।

1.बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं संशोधन 2016:-

इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के रोजगार में रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। संशोधन (2016) में यह प्रावधान जोड़ा गया कि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को "खतरनाक व्यवसायों" में कार्य नहीं दिया जा सकता। साथ ही, कुछ शर्तों के अंतर्गत घरेलू या पारिवारिक व्यवसायों में कार्य की अनुमति दी गई, जो अक्सर दुरुपयोग का रास्ता बनता है।

2. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP):- यह योजना 1988 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से खतरनाक व्यवसायों से बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उन्हें विशेष विद्यालयों में शिक्षा, पोषण और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना था। हालाँकि, इसकी पहुंच सीमित रही और हाल के वर्षों में इसका प्रभाव और भी कमज़ोर हो गया।

3. शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE), 2009:- यह अधिनियम 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यदि यह प्रभावी रूप से लागू हो, तो बाल श्रम की संभावना स्वतः कम हो सकती है। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालयों की भौतिक एवं सामाजिक पहुँच की सीमाएँ इसके कार्यान्वयन में बाधक हैं।

4. ILO के मानक और भारत की प्रतिबद्धता:- भारत ने ILO के कन्वेंशन 138 (न्यूनतम आयु) और कन्वेंशन 182 (सबसे खराब प्रकार के बाल श्रम की समाप्ति) को 2017 में स्वीकृत किया। इसके बाद कुछ क्षेत्रों में सुधार देखा गया, किंतु असंगठित क्षेत्र अब भी निगरानी से बाहर है।

5. कार्यविधि की समस्याएँ:- कानूनों की जानकारी का अभाव: कई माता-पिता और नियोक्ताओं को बाल श्रम निषेध कानूनों की जानकारी ही नहीं होती। निगरानी तंत्र की दुर्बलता: श्रम निरीक्षकों की संख्या कम है, और वे असंगठित क्षेत्रों तक पहुँचने में सक्षम नहीं होते। प्रवर्तन में भ्रष्टाचार: कई बार बच्चों को छुड़ाने के बाद भी नियोक्ताओं पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं होती।

सामाजिक संगठनों और प्रशासन की भूमिका

बाल श्रम की समस्या के समाधान में केवल सरकार की नीतियाँ पर्याप्त नहीं होतीं, बल्कि गैर-सरकारी संगठन (NGOs), नागरिक समाज और स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। भारत में अनेक सामाजिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और स्वयंसेवी समूह असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम के विरुद्ध सक्रिय हैं।

1. गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका:- संगठन जैसे बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्डलाइन इंडिया, सेव द चिल्ड्रन, CRY (Child Rights and You) आदि, बाल श्रमिकों की पहचान, मुक्ति, पुनर्वास और शिक्षा में गहरी भूमिका निभाते हैं। ये संगठन न केवल बच्चों को श्रम से मुक्त कराते हैं, बल्कि उनके माता-पिता को भी वैकल्पिक आजीविका से जोड़ते हैं।

2. स्थानीय प्रशासन और बाल कल्याण समितियाँ:- हर जिले में बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) कार्यरत होती है, जो नाबालिगों के संरक्षण से संबंधित निर्णय लेती है। श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग भी जिला स्तर पर बाल श्रम की निगरानी हेतु उत्तरदायी होते हैं।

3. जन–जागरूकता और समुदाय आधारित पहलें:– गाँवों और शहरी बस्तियों में ऐसे अनेक सामुदायिक प्रयास देखे गए हैं जहाँ स्वयं ग्रामीणों ने बाल श्रम के विरुद्ध आवाज़ उठाई। कई राज्यों में बाल संसद, स्कूल चलो अभियान और बाल मित्र ग्राम जैसी योजनाओं ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं।

उदेश्य

- असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम की समस्या के बारे में जानना |
- असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करना।
- भारत के असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रम की वर्तमान स्थिति और उससे संबंधित कारणों का विश्लेषण करना।

साहित्य का पुनरावलोकन

ध्रुव कुमार दीक्षित, "बालश्रम उन्मूलन – एक चुनौती", पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2002 इस पुस्तक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय सहायता से आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत 23 शोध पत्रों का संग्रह है। इन पत्रों में बालश्रम की व्यापक स्थिति और वर्तमान दशा को स्पष्ट किया गया है, साथ ही बालश्रम समस्या के उन्मूलन से संबंधित वैज्ञानिक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

साधना चतुर्वेदी , सुषमा रामपाल और अभय विर्कम सिंह (2011) लेख में बाल श्रम को मानव विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया गया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थितियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मेरठ के खेल उद्योग में अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि गरीबी बाल श्रम को बढ़ावा देती है, जिससे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि बाल श्रम एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान सरकारी नीतियों में सुधार के जरिए किया जाना आवश्यक है |

शोभा कुमारी)2023 (भारत में बाल श्रम एक जटिल और गंभीर समस्या है, जिसके अनेक कारण हैं। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, प्रशासनिक ढीलापन, बाल विवाह और कानून का उल्लंघन मुख्य कारक हैं। बच्चों को अनिश्चित परिस्थितियों में काम करने पर मजबूर किया जाता है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए गरीबी दूर करना, शिक्षा की व्यवस्था मजबूत बनाना, समाज में जागरूकता फैलाना, बाल– रोकना को विवाह, सख्त कानून लागू करना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, माता गैर और बढ़ाना जिम्मेदारी की पिता– जा पाया नियंत्रण प्रभावी पर समस्या जैसी श्रम बाल ही से उपायों इन है। आवश्यक लेना सहयोग का संगठनों सरकारी है। सकता जा किया निर्माण का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित के बच्चों और है सकता

डॉ. साधना पांडेय (2023) बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उनके विकास को बाधित करता है, जो मुख्यतः गरीबी और अशिक्षा के कारण होता है। यह बच्चों को शिक्षा से वंचित करता है और भविष्य में बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। इसका समाधान सरकार और समाज की संयुक्त जिम्मेदारी है।, ताकि बच्चों को सुरक्षित और खुशहाल भविष्य मिल सके।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत शोध प्रबंध "भारत के असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम की समस्या का अध्ययन" की प्रकृति तथा और विषय–वस्तु को ध्यान में रखते हुए, शोध प्रारूप के लिए वर्णनात्मक शोध का चयन किया जायेगा, एवं गुणात्मक अनुसंधान का समेकित उपयोग किया जाएगा |

निष्कर्ष

असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम केवल गरीबी या आर्थिक लाचारी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक असमानता, शैक्षिक विफलता, संस्थागत शिथिलता और सांस्कृतिक स्वीकार्यता का संयुक्त परिणाम है। कि बाल श्रमिकों की संख्या भले ही कुछ क्षेत्रों में कम हुई हो, परंतु उनकी परिस्थिति अब भी अत्यंत दयनीय बनी हुई है। यह अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बालक और बालिकाएँ सामाजिक संरचना के सबसे निचले स्तर पर स्थित हैं। इनके लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि उन कानूनों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू न किया जाए। समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि सरकारी नीति, सामाजिक संगठनों, समुदाय, और स्वयं

बच्चों की आवाज़ सब एकजुट होकर प्रयास करें। तभी भारत उस दिशा में बढ़ सकेगा जहाँ हर बच्चा अपने बचपन को जी सके, ना कि किसी ईंट-भट्ठे या होटल में उसे खो दे।

संदर्भ सूची

1 पांडेय, स. (2023). बालश्रम एक सामाजिक अपराध है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, 5(1), 01-02.

2 चतुर्वेदी, एस., & सिंह, एस. आर. ए. ए. वी. (2011). बाल श्रम: मानव विकास से इनकार। इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 72(1), 135-142.

3 पाण्डे, म. (1998). भारत में बालश्रमिक. मानक पब्लिकेशन्स लिमिटेड.

4 पिल्ले, उ. (2000). बाल श्रम कानून: एक अवलोकन. वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान.

5 कुमार, स. (2023). भारत में बाल श्रम के कारण एवं दूर करने के उपाय. *International Journal of Sociology and Humanities*, *5*(1), 23–25. https://doi.org/10.33545/26648679.2023.v5.i1a.38

6 बाल अधिकार संरक्षण आयोग. (2020). भारत में बाल श्रम: एक सर्वेक्षण रिपोर्ट. नई दिल्ली: एनसीपीसीआर।

7 बचपन बचाओ आंदोलन. (2021). बाल श्रमिकों की स्थिति पर विशेष रिपोर्ट. नई दिल्ली: बीबीए पब्लिकेशन।

8 चाइल्डलाइन इंडिया. (2022). बाल श्रम और पुनर्वास: एक क्षेत्रीय अध्ययन. मुंबई: चाइल्डलाइन रिसर्च डिविजन।

9 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन. (2021). वैश्विक बाल श्रम रिपोर्ट 2021. जेनेवा: ILO प्रकाशन।

10 यूनिसेफ भारत. (2023). भारत में बच्चों की शिक्षा और श्रम: कोविड-19 के बाद की स्थिति. नई दिल्ली: यूनिसेफ भारत।

11 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय. (2020-21). आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण. भारत सरकार: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

12 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय. (2019). बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम की समीक्षा. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन।

13 CRY संस्था. (2022). बचपन या मज़दूरी? भारत में बाल श्रम की वास्तविकता. नई दिल्ली: सीआरवाई प्रकाशन।

14 योजना आयोग. (2013). भारत में गरीबी और बाल श्रम पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार।

15 UNESCO. (2021). भारत में शिक्षा और वंचना: कोविड-19 का प्रभाव. पेरिस: यूनेस्को।